

RR No. 1526
11-7-12

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :— प. 20(1)साप्र / 2 / 12

जयपुर, दिनांक : 10.7.2012

—: आदेश :—

ORC (Web)

A

11-7-12

निम्नांकित कर्मचारियों को उनकी "एफ" श्रेणी की वरियतानुसार आवंटित "एफ" श्रेणी
राजकीय आवास का आवंटन उनके निवास हेतु पूर्व शर्तों के आधार एतद्वारा किया जाता है :—

क्र. सं.	नाम व पद	आवास संख्या	सेवानिवृत्ति तिथि	वरियता संख्या
1	श्री संजीव मितल शीघ्र लिपिक निरीक्षण विभाग, जयपुर	एफ-111 गौदीनगर (4/ सी/3 गौदीनगर के स्थान पर)	31.8.2031	253ए
2	श्री नंदकिशोर मीणा सहायक अनुभागाधिकारी कार्मिक(ख-3) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर	एफ--416 गौदीनगर (4/ 34 गौदीनगर के स्थान पर)	30.11.2015	257

राज्यपाल की आज्ञा से,

DD

(मनफूल बैरवा)
शासन सहायक सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. जिला कलक्टर, जयपुर।
2. निदेशक, सम्पदा / निरीक्षण विभाग, जयपुर।
3. शासन उप सचिव, कार्मिक (ख-1) विभाग।
4. मुख्यलेखाधिकारी / कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. कोषाधिकारी, जयपुर शहर जयपुर।
6. प्रबन्ध निदेशक, राजकॉम, प्रथम तल, योजना भवन, जयपुर— कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
7. अधिशासी अधिकारी, साठे निरीक्षण विभाग / जन स्वास्थ्य विभाग / जयपुर विद्युत वितरण निगम लिंगौदीनगर,, जयपुर।
8. सहायक अधिकारी, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी गौदीनगर, जयपुर।
9. सम्बन्धित कर्मचारीगणों को भेजकर लेख है कि पूर्व में आवंटित आवास 15 दिवस में रिक्त करने का श्रम करें अन्यथा प्रथम माह दुगुना तदुपरान्त तीन गुणा किराया वसूलनीय होगा।
10. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
11. रक्षित पत्रावली।

शासन सहायक सचिव